(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 53/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जबकि चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'कलर कोटेड/प्री पेंटेड, फ्लेट अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7210, 7212, 7225 या 7226 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1303 (अ), दिनांक 17अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/16/2021-डीजीटीआर, दिनांक 26 जुलाई, 2021, जिसे दिनांक 26 जुलाई,2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1303 (अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

"3. पैरा 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे उससे पहले निरस्त, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता।"

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/156/2021-टीओ (टीआरयू-।)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1303 (अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।